बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–:: संकल्प ::–

पत्रांक–11/आ०वि०–07/2019 सा॰प्र॰, पटना .... दिनांक–..............................

विषयः– राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि में संशोधन के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–7433 दिनांक–05.06.2018 द्वारा 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के पद सोपान में वेतन स्तर (पे–लेवल) आधारित व्यवस्था लागू करते हुए न्यूनतम कालावधि का निर्धारण किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–635 दिनांक–10.01.2024 द्वारा संकल्प संख्या–7433 दिनांक–05.06.2018 में विभिन्न वेतन स्तरों से उच्चतर वेतन स्तर में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि में आंशिक संशोधन किया गया है।

3. राज्याधीन सेवाओं में वेतन स्तर–4 के अन्तर्गत कार्यरत कतिपय संवर्ग के कर्मी (यथा– उच्चवर्गीय लिपिक एवं आशुलिपिक संवर्ग) द्वारा वेतन स्तर–07 में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को कम करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन तथा इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के CSSS का संकल्प संख्या–15/1/2014–CS–11–(C), दिनांक–16.04.2015, झारखण्ड राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–154, दिनांक–10.03.2023, दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्या–275, दिनांक–10.05.2022 में निर्धारित कालावधि की समीक्षा के आधार पर पाया गया कि वेतन स्तर–4 से वेतन स्तर–7 में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि बिहार राज्य की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

4. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–7433 दिनांक–05.06.2018 यथा संशोधित संकल्प संख्या–635 दिनांक–10.01.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए वेतन स्तर–4 से 7 के बीच विभिन्न वेतन स्तरों से उच्चतर वेतन स्तर में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है –

क्र0	प्रोन्नति के लिये निर्धारित (Pay Level)		न्यूनतम अर्हक सेवा (संशोधित कालावधि)
	से	तक	
1	4	5	3 Year
2	5	6	3 Year
3	6	7	4 Year

5. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–7433 दिनांक–05.06.2018 यथा संशोधित संकल्प संख्या–635 दिनांक–10.01.2024 के प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं इस संकल्प में किए गए अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

6. यह प्रावधान निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(डॉ० बी० राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव।

PATH-C/Nitish TIPPNI

ज्ञापांक–11/आ०वि०–07/2019 सा॰प्र॰, पटना .... दिनांक–............................

प्रतिलिप–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग में भेजने की कृपा की जाय।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०वि०–07/2019 सा॰प्र॰, पटना 11935 दिनांक–01.7.25

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/07/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

PATH-C/Nitish TIPPNI